प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,उ0प्र0,
कानपुर।

सेवा में,

सम्बन्धित प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /ई–55–इनोवेशन–2016 कानपुर : दिनांक अप्रैल 2016

विषयः– इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सेंटर्स संचालन हेतु नीति का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में इनोवेशन/इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने एवं आम–जन के नये विचारो को मूर्त रूप में लाने के लिए डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा इनोवेशन/इनक्यूबेशन सेंटर्स के संचालन के लिए शासन द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। जिसके संचालन में संलग्न पालीटेक्निक सूची के प्रधानाचार्यो को जनपद समन्वयक बनाया गया है जिनके माध्यम से उक्त से सम्बन्धित कियाकलापों का संचालन किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न शासनादेश सं0–1368/सोलह–1–2016–14(28)/2015 दिनांक 31.03.2016 में उल्लिखित कार्यो को प्रभावी ढ़ग से सम्पादित करना सुनिश्चित करें एवं प्रश्नगत शासनादेश को संस्था की वेवसाइट पर तत्तकाल अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– शासनादेश संख्या–1368/सोलह–
1–2016–14(28)/2015 की प्रति

भवदीय,

(ओ0पी0 वर्मा)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0 1348-51 /ई–55–इनोवेशन–2016 कानपुर : तद्दिनांक 22-4-2016

प्रतिलिपिः–

1. अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, मध्य क्षेत्र लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र वाराणसी/पश्चिमी क्षेत्र दौराला मेरठ/बुन्देलखण्ड क्षेत्र झांसी को इस आशय से प्रेषित है कि अपने क्षेत्र से सम्बन्धित संस्थाओं में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(ओ0पी0 वर्मा)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश।